न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
9/2016	12.1.2016	27/05/2026

उमर खां पुत्र वली मौहम्मद, मुसलमान निवासी राजीव कालोनी गंगापुर सिटी
––वादी

बनाम

हफीज पुत्र वसीर, मुसलमान नि0 मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी ––प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी हाल ख०नं० 134 रकबा 0.05 हेक्टर ग्राम मिर्जापुर में स्थित है। जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है । वादी की खातेदारी की भूमि हाल ख०नं० 134 रकबा 0.05 हेक्टर के लगवा ही प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि हाल ख०नं० 1251/134 रक्या 0.20 हेक्टर स्थित है। प्रतिवादी झगडालू किस्म का व्यक्ति है जिसे कानून की कोई परवाह नहीं है। यह गलत रूप से वादी की खातेदारी की भूमि हाल ख०नं० 134 रकबा 0.05 हैक्टर पर कब्जा करना चाहता है। जबकि वादी की खातेदारी की भूमि हाल ख0नं0 134 रकबा 0.05 हैक्टर से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नही है । दिनांक 5–1–2016 को वादी अपनी खातेदारी की भूमि हाल ख0नं0 134 की बाउण्ड्रीवाल बनाने के लिये नींव खुदवा रहा था, इतने में ही प्रतिवादी मौके पर आ गया तथा झगडा पसाद करने पर आमादा हो गया तथा वादी को बाउण्ड्रीवाल नही बनाने दी। प्रतिवादी अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नही आयेगा जब तक कि उसे इस आशय की स्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द नही कर दिया जावेगा कि वह वादी के कब्जे कास्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे तथा वादी को अपनी बाउण्ड्रीवाल बनाने से नहीं रोके । अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी की खातेदारी की भूमि हाल ख0नं0 134 के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में ना तो स्वंय बाधा पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावें तथा वादी को अपनी बाउण्ड्रीवाल बनाने से नहीं रोके ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलव किया गया।

प्रतिवादी ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाद पत्र की चरण संख्या एक जिस तरह अंकित की है, गलत है, स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 134 में से 5 एयर भूमि वादी ने प्रतिवादी के भाई रफीक पुत्र बशीर से क्रय की थी तथा खसरा नम्बर 133 में से 17 एयर भूमि है। इस तरह वादी की कुल 22 ऐयर भूमि है किन्तु वादी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। उक्त भूमि की आड में वह प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि को हडपना चाहता है, जिसका कि वादी को कोई अधिकार नहीं है। वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 134 रकवा 5 एयर के लगवाँ प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1251/134 रकवा 20 ऐयर तथा खसरा नम्बर 135 रकवा 2 ऐयर खातेदारी एवं खुद काश्त की भूमि है। इस तरह वादी की भूमि के लगवाँ प्रतिवादी की 22 ऐयर भूमि है किन्तु वादी लट्ठ एवं गुण्डों के बल पर प्रतिवादी की भूमि को हडपना चाहता है, जिसका कि वादी को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी शांतिप्रिय कृषक व्यक्ति है एवं वह कृषि एवं मजदूरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जबकि वादी एवं वादी का साला उमर गद्दी पुत्र रशीद ऊंची राजनीतिक पहुंच वाले भूमाफिया व्यक्ति हैं, इन्होने अन्य साथियों के साथ गिरोह बना रखा है। ये लोग गरीब किसानों को झूठे मुकदमेंबाजी में फंसाकर उनकी जमीनों को येन केन प्रकारेण भूमि सस्ते दामों पर विक्रय करने के लिए विवश करते हैं। इसी उद्देश्य से वादी ने अपने साले उमर के साथ मिलकर गलत तथ्यों के आधार पर ये मुकदमा किया है, जो. खारिज होने योग्य है। वादी ने दिनांक 05.01.2016 की घटना मनगढन्त एवं काल्पनिक अंकित की है। वैसे भी कृषि भूमि को अकृषि भूमि के रूप में परिवर्तित करना विधि विरूद्ध है। वादी को खातेदारी की कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। जबाब के विशेष विवरण में प्रतिवादी ने अंकित किया है कि प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1251/134 रकवा 20 एयर तथा खसरा नम्बर 135 रकवा 2 एयर कुल किता 2 कुल रकवा 22 एयर मिर्जापुर में प्रतिवादी की अन्य भूमि के साथ स्थित है। उक्त भूमि वादी के खसरा नम्बर 1250/133 रकवा 17 एयर एवं खसरा नम्बर 134 रकवा 5 एयर के लगवां स्थित है। उक्त तथ्यों का हाल नक्शा ट्रेस में अंकन हो रहा है। वादी उमर एवं उसके अन्य साथी भूमि में प्लाटिंग कर विक्रय करने का कार्य करते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये वादी उमर ने अन्य खातेदारान से मिलकर भूमि खसरा नम्बर 129 रकवा 13 ऐयर जो प्रतिवादी के भाई अजीज की खातेदारी की है एवं खसरा नम्बर 1249/129 रकवा 1 ऐयर, खसरा नम्बर 131 रकवा 11 ऐयर प्रतिवादी के भाई नसीर की खातेदारी की है तथा खसरा नम्बर 132 रकवा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 133 रकवा 3 ऐयर अरूण कुमार शर्मा की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 1250/133 रकवा 17 एयर एवं खसरा नम्बर 134 रकवा 5 एयर वादी की खातेदारी की है तथा खसरा नम्बर 130 रकवा 14 एयर कीं खातेदारी मिसरया की है। इस तरह कुल खसरा नम्बर 8 कुल रकवा 84 ऐयर में इन सभी व्यक्तियों (खातेदारों ने) वादी के साले उमर पुत्र रशीद से मिलकर उपर्युक्त वर्णित भूमि में जगदम्बा बिहार के नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से नक्शा भी बनवा लिया है तथा मौके पर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

वर्णित भूमि पर लाल मिट्टी मोरम डालते हुए रास्ता बना रखे हैं तथा पत्थरों की लगभग एक–डेढ फिट ऊंची बाउन्डी कर रखी है, जिसमें कुल नक्शे अनुसार 68 भूखण्ड बनाये गये हैं। यह प्लाटिंग उत्तर से दक्षिण 438 फिट एवं पूर्व से पश्चिम जानिव उत्तर 256 फिट व जानिव दक्षिण 235 फिट है, जो कुल 102930 वर्गफिट होती है, जबकि 165 गुणा 165 फिट 27250 वर्गफिट का 1 बीघा बराबर 25 ऐयर होती है। इस प्रकार से प्लाटिंग के 68 भूखण्ड नक्शे की नाप की फलावट के अनुसार 4 बीघा 2 एयर भूमि बनी है। जबकि उपरोक्त वर्णित भूमि 3 बीघा 9 एयर (84 एयर) है। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्लाटिंग दूसरे खातेदारों की भूमि दबाते हुए की गई है। जिसमें प्रतिवादी की 5 ऐयर भूमि खसरा नम्बर 1251/134 भी शामिल है। यह भूमि दक्षिण तरफ उत्तर से दक्षिण 38 फिट एवं पूर्व से पश्चिम 235 फिट की है तथा शेष भूमि चरागाह की शामिल है। इस प्रकार वादी उक्त प्लाटिंग में चरागाह की व प्रतिवादी की भूमि. पर कब्जा करना चाहता है। वादी ने अपनी सम्पूर्ण भूमि में अन्य व्यक्तियों से मिलकर आवासीय प्लाट काट दिए हैं, किन्तु अब उसकी नियत खराब हो गयी है, वह अपनी भूमि की आड में प्रतिवादी की भूमि को हडपना चाहता है क्योंकि वादी की तो कोई भूमि खाली शेष नहीं है, अपितु प्रतिवादी की 22 ऐयर भूमि खाली पडी हुई है। जिसमें प्रतिवादी ने इस वर्ष सरसों की फसल काश्त की है। उक्त भूमि से वादी का किसी तरह का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। वादी ने कुछ प्लाट दीगर लोगों को विक्रय कर दिये, जिनमें मकान भी बन चुके हैं। प्रतिवादी दिनांक 02.04.2016 को अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल खानवा–फतेहपुर सीकरी गया हुआ था तो पीछे से वादी एवं वादी के साले उमर ने अन्य व्यक्ति प्रतिवादी के भाई अजीज, नसीर एवं अरूण कुमार शर्मा के साथ मिलकर प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 1251/134 की 5 ऐयर भूमि जो खसरा नम्बर 134 के लगवॉ है, पर कब्जा करने के उद्देश्य से सीमेन्ट के पिल्लर गाड दिये। प्रतिवादी दिनांक 06.04.2016 को जब खानवा से वापस आया तो खेत पर जाकर देखने पर उक्त पिल्लरों के गाढने के सम्बन्ध में वादी एवं उक्त व्यक्तियों से कहा कि आपने मेरी खातेदारी की भूमि में सीमेन्ट के पिल्लर क्यों गाढे हैं तो वादी एकदम नाराज हो गया और कहने लगा कि अभी तो पिल्लर ही गाडे हैं, शीघ्र ही मैं मेरे अन्य भूमाफिया सहयोगी व्यक्तियों से मिलकर तुम्हारी खातेदारी की भूमि पर कब्जा करके प्लाटिंग कर देंगें एवं तुम्हें तुम्हारी खातेदारी भूमि पर चैन से उपयोग उपभोग नहीं करने दूंगा। इसलिए काउन्टर क्लेम पेश करना आवश्यक हुआ। वादी भूमाफिया एवं गिरोहबंद झगडालू किश्म का व्यक्ति है एवं वह अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आवेगा, जब तक कि उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमा दिया जावेगा। वादी अपने नाजायज उद्देश्य में यदि सफल हो गया तो प्रतिवादी को ऐसी हानि होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में सम्भव नहीं होगी। अतः जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा मय खर्चा खारिज

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

फरमाया जावे एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादी को आदेश फरमाया जावे कि वह प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 1251/134 जुज रकवा 5 ऐयर उक्त पिल्लरों को अपने खर्चे से हटा ले तथा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा प्रतिवादी को भूमि खसरा नम्बर 1251/134 रकवा 20 ऐयर एवं खसरा नम्बर 135 रकवा 2 ऐयर ग्राम मिर्जापुर के उपयोग उपभोग में कोई बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें एवं ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा एवं जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई–

1. आया भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है० ग्राम मिर्जापुर वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसके उपयोग उपभोग में प्रतिवादी ने दिनांक 5.1.2016 को वादी को बाधा उत्पन्न की फलस्वरूप वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। ——वादी

2. आया भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 20 एयर एवं ख0नं0 135 रकबा 2 एयर प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि है जो वादी की खातेदारी भूमि ख०नं० 1250/133 रकबा 17 एयर एवं ख०नं० 134 रकबा 5 एयर के लगवां स्थित है। —— प्रतिवादी

3. आया जबाब दावे के विशेष विवरण के मद नं0 2 में वर्णित विवरण के अनुसार वादी एवं अन्य खातेदार मिलकर 4 बीघा 2 विस्वा भूमि में जगदम्बा कोलोनी के नाम से प्लाट काट रहे हैं जबकि वादी एवं उसके साथ अन्य खातेदारों की 84 एयर भूमि ही होती है। इस प्रकार वादी अन्य लोगों के साथ मिलकर चरागाह भूमि में एवं प्रतिवादी की भूमि में प्लाट काटना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। —— प्रतिवादी

4. आया दिनांक 2.4.2016 को वादी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रतिवादी की भूमि ख0नं0 1251/134 में पिलर गाड लिए जिनको प्रतिवादी हटवाने हेतु एवं प्रतिवादी की भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 20 एयर एवं ख0नं0 135 रकबा 2 एयर ग्राम मिर्जापुर के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। —— प्रतिवादी

5. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 ग्राम मिर्जापुर प्रस्तुत किए हैं।

जबाब दावा एवं काउन्टर क्लेम के समर्थन में प्रतिवादी ने नकल रजिस्ट्री दिनांक 9.5.2016 बहक श्रीमति प्रीति मीना, नकल रजिस्ट्री दिनांक 9.5.2016 बहक श्रीमति फूलवती मीना, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, नकल नक्शा ट्रेस, तीन फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए हैं।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सी0पी0सी0 पर दिए गए आदेश दिनांक 4.4.2022 के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि ख0नं0 134 रकबा 5 एयर एवं भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 20 एयर ग्राम मिर्जापुर की मौके पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में नाप करवा कर रिपोर्ट चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक राजस्व/रीडर/2024/83 दिनांक 3.6.2024 द्वारा इस न्यायालय को भिजवाई है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रकरण उमर खां बनाम हफीज वगैरा एवं हफीज बनाम उमर खां वगैरा मुकदमा नम्बर 6/2016 एवं 67/2016 में भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1251/134 रकबा 0.20 है0 ग्राम मिर्जापुर में पालना हेतु गठित टीम द्वारा सीमाज्ञान की कोशिश की गई लेकिन मुस्तकिल बिन्दु नहीं मिलने व चारो ओर मकानात होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हो पाया। अतः दोनों पक्ष ई0टी0एस0 मशीन से सीमाज्ञान करवाने हेतु सहमत हुए।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त उपरोक्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0 ग्राम मिर्जापुर के सम्बन्ध में है। यह भूमि वादी उमर खां की खातेदारी में दर्ज है। वादी उमर खां का कहना है कि प्रतिवादी हफीज वादी की इस भूमि पर कब्जा करना चाहता है जबकि प्रतिवादी हफीज का कहना है कि वादी ने प्रतिवादी की भूमि ख0नं0 1251/134 में 5 एयर भूमि पर पिल्लर गाड दिए हैं जिन्हें हटवाया जावे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0 व भूमि ख0नं0 1251/134 ग्राम मिर्जापुर की सीमा को लेकर आपसी विवाद है। इस विवाद के निपटारे के लिए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4.4.2022 द्वारा उपरोक्त दोनों नम्बरों की नाप दोनों पक्षों की उपस्थिति में करवाने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिए गए थे परन्तु तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मुस्तकिल पोइन्ट नहीं मिलने एवं इन दोनों नम्बरों की भूमि के चारो ओर मकानात होने के कारण नाप ई0टी0एस0 मशीन द्वारा ही करवाया जाना अंकित किया गया है। चूंकि प्रकरण में वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता है एवं प्रतिवादी अपने काउन्टर क्लेम में वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता है परन्तु मौके पर भूमि की सीमा तय नहीं होने के कारण भूमि की नाप ई0टी0एस0 मशीन से करवाए जाने के पश्चात् ही उपरोक्त प्रकरण में अन्तिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। फलस्वरूप प्रकरण में ग्राम मिर्जापुर में स्थित भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0 एवं भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 0.20 है.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रथम)
सत्यमेव जयते
गंगापुर

की नाप ई0टी0एस0 मशीन से करवाने एवं इस प्रकरण में कार्यवाही वर्तमान स्टेज पर ही ड्रोप किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम मिर्जापुर में स्थित भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0 एवं भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 0.20 है0 की नाप ई0टी0एस0 मशीन से करवाने हेतु वादी एवं प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी नियमानुसार अपने–अपने खर्चे पर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों की ई0टी0एस0 मशीन से नाप करवाने हेतु कार्यवाही करें। वर्तमान दावा में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

उमर खां पुत्र वली मौहम्मद, मुसलमान, राजीव कालोनी गंगापुर सिटी——वादी

बनाम

हफीज पुत्र वसीर, मुसलमान नि0 मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —9/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री जे0के0 गर्ग, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम मिर्जापुर में स्थित भूमि ख0नं0 134 रकबा 0.05 है0 एवं भूमि ख0नं0 1251/134 रकबा 0.20 है0 की नाप ई0टी0एस0 मशीन से करवाने हेतु वादी एवं प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी नियमानुसार अपने—अपने खर्चे पर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों की ई0टी0एस0 मशीन से नाप करवाने हेतु कार्यवाही करें। वर्तमान दावा में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/2016 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी